



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273086  
CG-DL-E-03062026-273086

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]  
No. 367]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISTHA 12, 1948

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.148.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) के विनियम 10 के उप-विनियम (3) में, "अनुसूची II" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची I" शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल विनियम के विनियम 12 में,  
 (क) पार्श्व शीर्षक में, "पक्षकारों के साथ परामर्शद" शब्दों के स्थान पर "पक्षकारों द्वारा सहायता" शब्द रखे जाएंगे।  
 (ख) उप-विनियम (1) में "धारा 35(2) के अधीन जिन पक्षकारों का परामर्श लिया जाए, वे" शब्दों, संख्यात्मक और चिह्न के स्थान पर "पक्षकार" शब्द रखा जाएगा।
4. मूल विनियमों के विनियम 14 के उप-विनियम (1) में, "अनुसूची I के प्ररूप क में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।
5. मूल विनियमों के विनियम 16 के उप-विनियम (1) में, "अनुसूची I के प्ररूप ख में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।
6. मूल विनियमों के विनियम 17 के उपविनियम (1) में, "अनुसूची I के प्ररूप ग में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।
7. मूल विनियमों के विनियम 18 में  
 (क) उपविनियम (1) में, "अनुसूची I के प्ररूप घ में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।  
 (ख) उपविनियम (2) में, "अनुसूची I के प्ररूप ड में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।
8. मूल विनियमों के विनियम 19 के उपविनियम (1) में, "अनुसूची I के प्ररूप च में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।
9. मूल विनियमों में, विनियम 28 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
 "28क. दावों का प्रस्तुत और अद्यतन किया जाना  
 (1) ऐसा व्यक्ति, जो एक पक्षकार होने का दावा करता है, सार्वजनिक उद्घोषणा में उल्लिखित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व अपना दावा प्रस्तुत करेगा।  
 (2) प्रत्येक पक्षकार अपने दावे को, समापन प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् किसी भी रीति में, किसी भी स्रोत से भागतः या पूर्णतः पूरा होने पर यथाशीघ्र अद्यतन करेगा।
10. मूल विनियमों के विनियम 29 में,  
 (i) उप-विनियम (1) में, "संहिता की धारा 40 के अनुसार, पूर्णतः अथवा अंशतः, जैसा भी मामला हो, दावा स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगा।" शब्दों, संख्यात्मक और चिह्न के स्थान पर "पूर्णतः अथवा अंशतः, जैसा भी मामला हो, दावा स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगा:" शब्द और चिह्न रखे जाएंगे।  
 (ii) उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
 "परन्तु जहां परिसमापक किसी दावे को अस्वीकार करता है वहां वह ऐसी अस्वीकृति के लिए लिखित में कारण अभिलिखित करेगा।"  
 (iii) उप-विनियम (2) को पुनः क्रमांकित करके (3) किया जाएगा।  
 (iv) उप-विनियम (1) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) परिसमापक, दावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी अपना विनिश्चय हितधारकों को दावों के इस प्रकार स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के सात दिन के भीतर संसूचित करेगा।”

(v) उप-विनियम (3) में,

(क) “अपील” शब्द के स्थान पर “समावेदन” शब्द रखा जाएगा।

(ख) “संहिता की धारा 42 के अनुसार” शब्दों और संख्यात्मक का लोप किया जाएगा।

11. मूल विनियमों के विनियम 38 के उप-विनियम (3) में, “प्ररूप ज में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

12. मूल विनियमों के विनियम 39 में,

(क) उप-विनियम (5) में, “प्ररूप छ में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप-विनियम (7) और (7घ) में, “प्ररूप झ में” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

13. मूल विनियमों में, विनियम 41क के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

#### “42. स्वैच्छिक समापन कार्यवाहियों का पर्यवसान

(1) धारा 59 की उपधारा (5क) के खंड (क) में निर्दिष्ट संकल्प में निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा -

(क) स्वैच्छिक समापन कार्यवाहियों के पर्यवसान के लिए तर्काधार;

(ख) समापन लागत का व्यवहार; और

(ग) यह घोषणा कि पर्यवसान के परिणामस्वरूप किसी हितधारक के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) धारा 59 की उपधारा (5क) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, परिसमापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को स्वैच्छिक समापन कार्यवाहियों के पर्यवसान के संबंध में ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए, एक रिपोर्ट सहित, इस कथन के साथ सूचित करेगा कि -

(क) स्वैच्छिक समापन कार्यवाहियों के पर्यवसान के लिए सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है; और

(ख) स्वैच्छिक समापन कार्यवाहियों के पर्यवसान का आरंभ किसी व्यक्ति के साथ कपट करने के लिए नहीं किया गया है और कारपोरेट व्यक्ति शोधक्षम है।

(3) जहां धारा 59 की उपधारा (5क) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी हो जाती हैं वहां परिसमापक, यथास्थिति, उसके खंड (क) के अधीन विशेष संकल्प पारित किए जाने या उसके खंड (ख) के अधीन लेनदारों द्वारा अनुमोदन किए जाने के सात दिन के भीतर बोर्ड और कंपनी रजिस्ट्रार को स्वैच्छिक समापन कार्यवाहियों के पर्यवसान के संबंध में उप-विनियम (2) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट सहित सूचित करेगा।

(4) संहिता की धारा 59 की उपधारा (5ग) के अधीन स्वैच्छिक समापन कार्यवाहियों का पर्यवसान होने पर -

(क) परिसमापक की नियुक्ति और उसकी कार्यवाधि का पर्यवसान हो जाएगा;

(ख) परिसमापक इन विनियमों के अधीन किन्हीं शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग नहीं कर सकेगा; और

(ग) इन विनियमों के अधीन स्वैच्छिक समापन कार्यवाहियों की बाबत आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।”

14. मूल विनियमों में,  
 (क) 'अनुसूची I' का लोप किया जाएगा।  
 (ख) 'अनुसूची II' को 'अनुसूची I' के रूप में नामित किया जाएगा।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./137/2026-27]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 130, तारीख 31 मार्च, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.010, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 137, तारीख 25 फरवरी, 2026 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.137, तारीख 25 फरवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया)(संशोधन) विनियम, 2026 द्वारा किया गया था।

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

#### Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2026

**F. No. IBBI/2026-27/GN/REG148.**— In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These regulations may be called Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in sub-regulation (3) of regulation 10, for the words "Schedule II", the words "Schedule I" shall be substituted.

3. In the principal regulations, in regulation 12,

(a) in the marginal heading, for the words "Consultation with stakeholders", the words "Assistance by stakeholders" shall be substituted.

(b) in sub-regulation (1), words, numerical and mark "consulted under section 35(2)", shall be omitted.

4. In the principal regulations, in sub-regulation (1) of regulation 14, for the words "Form A of Schedule I", the words "such form as notified by the Board through circular" shall be substituted.

5. In the principal regulations, in sub-regulation (1) of regulation 16, for the words "Form B of Schedule I", the words "such form as notified by the Board through circular" shall be substituted.

6. In the principal regulations, in sub-regulation (1), of regulation 17, for the words "Form C of Schedule I", the words "such form as notified by the Board through circular" shall be substituted.

7. In the principal regulations, in regulation 18,

(a) in sub-regulation (1), for the words “Form D of Schedule I”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

(b) in sub-regulation (2), for the words “Form E of Schedule I”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

8. In the principal regulations, in sub-regulation (1) of regulation 19, for the words “Form F of Schedule I”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

9. In the principal regulations, after regulation 28, the following shall be inserted, namely:-

**“28A. Submission and updation of claims.**

(1) A person, who claims to be a stakeholder, shall submit its claim, on or before the last date mentioned in the public announcement.

(2) A stakeholder shall update its claim as and when the claim is satisfied, partly or fully, from any source in any manner, after the liquidation commencement date.”

10. In the principal regulations, in regulation 29,

(i) in sub-regulation (1), for the words, numerical and mark “, as per section 40 of the Code.”, the mark “:” shall be substituted.

(ii) in sub-regulation (1), the following proviso is to be inserted:

“Provided that where the liquidator rejects a claim, he shall record in writing the reasons for such rejection.”

(iii) sub- regulation (2), shall be renumbered as sub-regulation (3).

(iv) after proviso to sub-regulation (1), following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(2) The liquidator shall communicate his decision of admission or rejection of claims to the stakeholder within seven days of such admission or rejection of claims.”

(v) in sub-regulation (3),

(a) for the words “appeal to”, the word “approach” shall be substituted.

(b) the words and numerical “as per section 42 of the Code.” shall be omitted.

11. In the principal regulations, in sub-regulation (3) of regulation 38, for the words “Form H”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

12. In the principal regulations, in regulation 39,

(a) in sub-regulation (5), for the words “Form G”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

(b) in sub-regulation (7) and (7D), for the words “Form I”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

13. In the principal regulations, after regulation 41A, the following shall be inserted, namely:-

**“42. Termination of voluntary liquidation proceedings.**

(1) The resolution referred to in clause (a) of sub-section (5A) of section 59, shall provide for –

(a) rationale for termination of voluntary liquidation proceedings;

(b) treatment of liquidation costs; and

(c) a declaration that the termination will not result in prejudicially affecting the interest of any stakeholder.

(2) For the purposes of clause (c) of sub-section (5A) of section 59, the liquidator shall intimate the Adjudicating Authority, along with a report in such form as notified by the Board through circular, regarding termination of voluntary liquidation proceedings, accompanied by a statement that –

(a) due process for termination of voluntary liquidation proceedings has been followed; and

(b) the termination of voluntary liquidation proceedings is not initiated to defraud any person and the corporate person is solvent.

(3) Where the conditions specified under clause (a), (b) and (c) of sub-section (5A) of section 59 are satisfied, the liquidator shall, within seven days of the passing of the special resolution under clause (a) thereof or the approval of

creditors under clause (b) thereof, as the case may be, intimate the Board and the Registrar of Companies along with the report prepared under sub-regulation (2), regarding termination of the voluntary liquidation proceedings.

(4) Upon termination of the voluntary liquidation proceedings under sub-section (5C) of section 59 of the Code—

- (a) the appointment and term of the liquidator shall stand terminated;
- (b) the liquidator shall cease to exercise any powers or functions under these regulations; and
- (c) no further action shall be taken under these regulations in respect of the voluntary liquidation proceedings.”

14. In the principal regulations,

- (a) ‘SCHEDULE I’ shall be omitted.
- (b) ‘SCHEDULE II’ shall be renamed as ‘SCHEDULE I’.

RAVI MITAL, Chairperson  
[ADVT.-III/4/Exty./137/2026-27]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 were published vide notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG010, dated 31<sup>st</sup> March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 130 on 31<sup>st</sup> March, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2026 published vide notification No. IBBI/2025-26/GN/REG137, dated the 25<sup>th</sup> February, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 137 on 25<sup>th</sup> February, 2026.